## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 24 / 2025
दायर दिनांक : 26 / 05 / 2025
निर्णय दिनांक : 24 / 06 / 2025

**उनवान**

1 अमरचंद पिता रामा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
2 मोहन पिता रामा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
3 चतरू पिता रामा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
4 गोविंद पिता गमेरा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
5 शंकर पिता गमेरा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
6 मृतक बालीबाई पत्नी गमेरा भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
7 मांगीलाल पिता बाबरिया भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
8 छगनी पुत्री बाबरिया भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
9 नोलीबाई पत्नी बाबरिया भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
10 एकलिंग पिता जेता भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
  1 मांगीबाई पिता एकलिंग भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
  2 टमू पिता एकलिंग भील निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1 अभयसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
2 फतहसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
  1 महेंद्र पिता फतहसिंह राजपूत निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
  2 भंवरसिंह पिता फतहसिंह राजपूत निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

## : निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण उपस्थित आऐ एवं पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख निरीक्षक, भूपालसागर**को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **खाता स0 2 में दर्ज हाल आ.सं. 148 रकबा 0.34 है0, आ.सं. 149 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पक्का पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी [illegible] एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस [illegible] से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो तो [illegible] बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24 / 06 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2025.07.10 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर